

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/10,023

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री राजेन्द्र कुमार कचोलिया एडवोकेट को नगर परिषद भीलवाड़ा के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद भीलवाड़ा से देय होगा।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/10,024-10,031 दिनांक: 19-8-2020
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. आयुक्त, नगर परिषद भीलवाड़ा।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
06. राजेन्द्र कुमार कचोलिया, एडवोकेट, मार्फत नगरपरिषद भीलवाड़ा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी